न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 114/2017 ::

अपीलांट :–
1. घीसुदास पुत्र कानदास
2. मदनदास पुत्र कानदास
जातिगण साद, निवासीगण
दौलपुरा, तहसील सुमरपुर
जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
राज्य सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री भैरूसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 02.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम घीसूदास वगैरा आदेश दिनांक 11.08.2017 के विरुद्ध पेश की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का धणा ने अपीलाण्टगण को ग्राम दौलपुरा के खसरा नम्बर 303 कुल रकबा 30.67 हे. गै.मु. गोचर की भूमि में से 1.16 है. भूमि पर मूंग की फसल की बुवाई कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रकरण संख्या 32/2017 कायम कर दिनांक 11.08.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अपीलाण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया। जिसका निर्णय उसी दिवस को किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 300 रू. जुर्माना अधिरोपित किया तथा अपीलाण्टगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से भी दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है। वह उनके पिता द्वारा तामील किया गया है एवं तारीख पेशी पर घीसूदास ही उपस्थित हुआ। मदनदास के अनुपस्थित होने के बावजूद भी निर्णय पारित कर दिया गया। उससे नोटिस तामील नहीं करवाया गया न ही अपीलाण्टगण को पृथक–पृथक नोटिस जारी किए गए। दोनों गैर सायलान घीसूदास व कानदास को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक–पृथक नोटिस दिया जाना आज्ञापक है, जो नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट घीसूदास द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे पत्रावली पर नहीं पढ़ा गया है। वर्ष 2073 में किए गए अतिक्रमण बाबत भी दिए गए नोटिस की प्रति संलग्न है। जो मदनदास एवं कानदास दोनों के नाम ही एक नोटिस जारी किया गया था। जिस पर कानदास के द्वारा तामील किया जाना स्पष्ट है एवं भौतिक रूप

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

से बेदखली की रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि गतवर्ष अपीलाण्टगण को भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं है। इस वर्ष भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो आदेश पारित किए गए है। उस संबंध में पटवारी हल्का के बयान नहीं लिए गए जबकि सिविल कारावास जैसे कठोर निर्णय पारित किए जाने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान लिए जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के अनुरूप कार्यवाही नहीं कि गई है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। इस बाबत अपीलाण्टगण द्वारा शपथ पत्र इस आशय का पेश कर दिया है कि उन्होंने जैर अपील गोचर भूमि के कब्जे का अधित्यजन कर दिया है एवं भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेंगें, इसलिए जैर अपील आदेश निरस्त फरमावें। अपीलाण्टगण को पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.2017 को गिरफ्तार करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने नकले प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है। जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय करावें।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 303 कुल रकबा 30.67 है. में से 1.16 है गैर मुमकिन गोचर भूमि पर कब्जा कर मुंग की फसल बोई है। जिसकी पटवारी हल्का द्वारा टी.पी. रिपोर्ट पेश की गई। गत वर्ष संवत् 2073 में भी अपीलाण्टगण द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिस बाबत अपीलाण्टगण के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित करते हुए साथ ही 300 रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया था एवं कुर्क सुदा फसल की निलामी की गई थी। अतिक्रमित आराजी गैर मुमकिन गोचर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि होने से इसका नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्टगण द्वारा बार–बार अतिक्रमण किया जा रहा है। इसलिए अपीलाण्टगण की अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है वह न्यायोचित है। जिसे यथावत रखा जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में सिविल कारावास जैसे कठोर दण्डादेश पारित किए गए। इसलिए न्याय की दृष्टि से अपील अन्दर म्याद मानी जाती है। अपीलाण्टगण द्वारा संवत् 2074 में गांव दौलपुरा के खसरा नम्बर 303 कुल रकबा 30.67 है. में से 1.16 है. गै.मु. गोचर पर अतिक्रमण कर मुंग की फसल बोई है। इस बाबत अपीलाण्टगण को नोटिस दिया गया। जिसके संबंध में अपीलाण्ट घीसूदास उपस्थित हुआ एवं अपना जवाब पेश किया। उसके द्वारा आगे जवाब में साक्ष्य हेतु समय चाहने का कथन सत्य नहीं है। मदनसिंह उर्फ मदनदास उपस्थित ही नहीं हुआ था। अपीलाण्टगण द्वारा गत वर्ष संवत 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था, जो पत्रावली के संलग्न टी.पी. रिपोर्ट, नोटिस, फर्द कुर्की व निलामी एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है।

क्रमश.....3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जो अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को दर्शाता है। जैर अपील आराजी गैर मुमकिन गोचर है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रैणी में होने से इसका नियमन भी नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्टगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा जैर अपील गोचर भूमि के कब्जे का अधित्यजन कर दिया है एवं भविष्य में भी उक्त भूमि पर उनके द्वारा कब्जा नहीं किया जाएगा।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम घीसूदास वगैरा आदेश दिनांक 11.08.2017 में तीन माह के सिविल कारावास की सजा में से अपीलाण्टगण द्वारा भूगती गई सजा के दिवसों को यथावत रखते हुए शेष दिवसों के लिए दी गई सजा को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील भूमि से बेदखल करने एवं 300/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, सुमेरपुर को पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली